सुनील कुमार, v. गुरदयाल सिंह और अन्य
(आलोक *सिंह.* न्यायमूर्ति)

न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और आलोक सिंह के समक्ष
सुनील कुमार - अपीलकर्ता

बनाम

गुरदयाल सिंह और अन्य, — *उत्तरदाताओं*

2010 के सीडब्ल्यूपी नंबर 588 में 2 (109) का नंबर 39 है

18 फरवरी. 2010

भारत का संविधान, 1950 — अनुच्छेद 226 — चपरासी की नियुक्ति के लिए MC में पोस्ट — चयन समिति साक्षात्कार, उम्मीदवारों की योग्यता पर विचार और अपीलकर्ता के नाम की सिफारिश — एमसी के सचिव का बेटा नियुक्त किया गया — क्या उच्च न्यायालय चयन समिति के निर्णय पर अपने स्वयं के निष्कर्ष को प्रतिस्थापित कर सकता है— अपीलकर्ता के पिता न तो चयन समिति के सदस्य हैं और न ही कोई चयन की प्रक्रिया में कोई भूमिका है — केवल इसलिए कि उन्होंने चयन समिति के निर्णय को रोजगार कार्यालय को बता दिया, चयन की प्रक्रिया को ख़राब नहीं कर सकता — एकल न्यायाधीश का निर्णय कानून की नजर में सही नहीं — अपील की अनुमति है.

माना गया कि विद्वान एकल न्यायाधीश का यह मानना उचित था कि दोनों उम्मीदवार मैट्रिक पास थे, इसलिए याचिकाकर्ता की योग्यता को प्रतिवादी संख्या 5 से कम नहीं कहा जा सकता है। यह कानून का अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत भारतीय संविधान चयन समिति, जो कि एक विशेषज्ञ संस्था है, के निर्णय पर अपने स्वयं के निष्कर्ष को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती है, जब तक कि कोई गंभीर गलती या पूर्वाग्रह न पाया जाए।

(पैरा 7)

इसके अलावा, यह माना गया कि निर्विवाद रूप से प्रतिवादी नंबर 4 अपीलकर्ता के पिता चयन समिति के सदस्य नहीं थे। चयन प्रक्रिया में मेरी कोई भूमिका नहीं थी। सिर्फ इसलिए कि उन्होंने चयन समिति के फैसले से रोजगार कार्यालय को अवगत करा दिया। चयन की प्रक्रिया को ख़राब नहीं करता है और न ही कर सकता है। निर्विवाद रूप से, चयन समिति ने सभी उम्मीदवारों का

साक्षात्कार लिया है और नियुक्ति के लिए प्रतिवादी संख्या 5-अपीलकर्ता के नाम की सिफारिश की है। इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश का यह निष्कर्ष कि सब कुछ उचित नहीं था, अनुचित प्रतीत होता है

(पैरा 8)

आर. के. मलिक, सीनियर. अधिवक्ता अशिश चौधरी अधिवक्ता के साथ *अपीलकर्ता के लिए।*

रवींद्र मलिक, एडवोकेट *प्रतिवादी संख्या 1 के लिए*

आलोक सिंह न्यायमूर्ति

(1) विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील 8 दिसंबर,2009 को की गई है, जिसके तहत प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दायर रिट याचिका को अनुमति दी गई थी।

(2) मामले के संक्षिप्त तथ्य यह है कि बाजार समिति प्रतिवादी नंबर 2 ने 4 अक्टूबर 2008 को केवल अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से नियुक्ति के लिए चपरासी के एक पद और चौकीदार के एक पद के लिए एक विज्ञापन जारी किया था। उपरोक्त पदों के लिए उम्मीदवारों को बुलाया गया था ।रोजगार विनिमय, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, यमुनागर ने 12 उम्मीदवारों के नाम चपरासी के पद पर नियुक्ति के लिए भेजे. याचिकाकर्ता उपरोक्त पद के लिए रोजगार कार्यालय द्वारा प्रायोजित उम्मीदवारों में से एक था। उनका साक्षात्कार 27 अक्टूबर, 2008 को हुआ था।दिनांक 4 नवंबर, 2008 को पत्र के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 4 ने रोजगार कार्यालय, यमुनानगर को सूचित किया कि उसके द्वारा प्रायोजित कोई भी उम्मीदवार उक्त पद के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया।हालांकि, याचिकाकर्ता को पता चला कि उसकी उम्र अधिक होने के कारण उसकी उम्मीदवारी खारिज कर दी गई है। आरोप है कि साक्षात्कार के दिन उनकी उम्र अधिक नहीं थी, उनकी उम्र 45 साल से कम थी। आगे यह भी आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी संख्या 5 प्रतिवादी संख्या 4 जगदीश चंद, सचिव का पुत्र है। बाजार समिति. मुस्तफाबाद, जिला यमुनानगर में अभ्यर्थियों की योग्यता पर विचार किए बिना नियुक्ति कर दी गई। उनकी अस्वीकृति का कारण योग्यता मानदंडों के विपरीत बताया गया था।

(3) याचिकाकर्ता ने रिट याचिका दायर करके उत्तरदाताओं की उपरोक्त कार्रवाई को चुनौती दी। 8 दिसंबर, 2009 के आदेश के तहत विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका को अनुमति दी गई और चपरासी के रूप में प्रतिवादी नंबर 5 की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया। वर्तमान अपील के माध्यम से प्रतिवादी क्रमांक 5 ने उपरोक्त आदेश को चुनौती दी है।

(4) पक्षों के वकील को सुना और रिकार्ड का अवलोकन किया।

(5) श्री आर. के. मलिक विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले **दलपत अबासाहेब सोलुनके और अन्य** *बनाम* **डॉ. बी.एस. महाजन और अन्य (1) का** हवाला देते हुए तर्क दिया कि

एकल न्यायाधीश चयन समिति द्वारा लिए गए निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए सक्षम नहीं थे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दलपत अबासाहेब सोलुनके मामले (सुप्रा) के फैसले के पैराग्राफ 9 में निम्नानुसार देखा है:

> इस प्रकार ऐसा प्रतीत होगा कि इस तथ्य के अलावा कि उच्च न्यायालय ने दो नियुक्तियों के मामलों को एक में डाल दिया है। हालांकि उनकी नियुक्तियाँ एक ही आधार पर विवादित नहीं हैं।न्यायालय निर्णय ओ पर अपील में बैठना भी आवश्यक हो गया है चयन समिति और रिश्तेदार को तय करने के लिए तैयार करना योग्यता ओ अनुष्ठान उम्मीदवारों. यह जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि यह नहीं है के निर्णयों पर अपील सुनने के लिए न्यायालय का कार्य चयन समितियों और उम्मीदवारों के सापेक्ष गुणों की जांच करना. उम्मीदवार किसी विशेष पद के लिए फिट है या नहीं विधिवत गठित चयन समिति द्वारा निर्णय नहीं लिया जाना है जिसके पास विषय पर विशेषज्ञता है. कोर्ट के पास ऐसा नहीं है विशेषज्ञता. चयन समिति का निर्णय हो सकता है केवल सीमित आधार पर, जैसे कि अवैधता या पेटेंट समिति या उसके संविधान में भौतिक अनियमितता चयन को प्रभावित करने वाली प्रक्रिया, या चयन आदि को प्रभावित करने वाले साबित हुए. यह विवादित नहीं है कि वर्तमान मामले में विश्वविद्यालय ने उचित अनुपालन में समिति का गठन किया था प्रासंगिक क़ानून। r समिति में विशेषज्ञ शामिल थे और यह अल। से संबंधित सामग्री के माध्यम से जाने वाले उम्मीदवारों का चयन किया इससे पहले. चयन पर अपील में बैठे और इतने में इसे तथाकथित तुलनात्मक गुणों के आधार पर अलग करना न्यायालय द्वारा मूल्यांकन किए गए उम्मीदवारों के रूप में। उच्च न्यायालय गया गलत और अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक हो गया."

(6) आक्षेपित निर्णय में विद्वान एकल न्यायाधीश ने निम्नानुसार कहा है---

> "यह विवाद में नहीं है कि प्रतिवादी नंबर 5 प्रतिवादी नंबर 4 का बेटा है, जो मार्केट कमेटी का सचिव है और वह व्यक्ति है जिसने रोजगार कार्यालय द्वारा प्रायोजित सभी उम्मीदवारों की अस्वीकृति के बारे में रोजगार कार्यालय को सूचित किया था।

इस बात पर भी विवाद नहीं किया जा सकता है कि लिखित बयान के अनुसार याचिकाकर्ता का दावा केवल इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि उसका गांव मार्केट कमेटी के ब्लॉक में नहीं आता था, जो विज्ञापन के अनुसार इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए फिर से एक आधार नहीं हो सकता है। ब्लॉक मुस्तफाबाद के उम्मीदवारों पर विचार किया जाना था, और याचिकाकर्ता ब्लॉक मुस्तफाबाद से था।

याचिकाकर्ता की योग्यता भी प्रतिवादी संख्या 5 से कम नहीं कही जा सकती क्योंकि दोनों अभ्यर्थी मैट्रिक पास थे. याचिकाकर्ता के पास सात साल काम करने का अनुभव है, जबकि प्रतिवादी नंबर 5 के पास कोई अनुभव नहीं है।

चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों की योग्यता पर विचार किया गया या नहीं, इसकी जांच के लिए रिकार्ड देखा गया. आश्चर्य की बात है कि चयन समिति के रिकॉर्ड पर कोई कार्यवाही नहीं है।

27 अक्टूबर, 2008 का प्रस्ताव केवल उन उम्मीदवारों की सूची दिखाने वाला रिकॉर्ड है, जिन्हें रोजगार कार्यालय द्वारा प्रायोजित किया गया था, और जिन्होंने जारी विज्ञापन के अनुसरण में आवेदन किया था।

यह प्रस्ताव बाजार समिति अध्यक्ष द्वारा पारित किया गया जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि समिति ने सभी उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया था, और सर्वसम्मति से नियुक्ति के लिए प्रतिवादी नंबर 5 के नाम की सिफारिश की थी।

रिकॉर्ड पर कोई अनुशंसा नहीं है. फ़ाइल को पढ़ने से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि सब कुछ निष्पक्ष नहीं था और वास्तव में चयन समिति द्वारा कोई साक्षात्कार आयोजित नहीं किया गया था, न ही साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों का कोई मूल्यांकन किया गया था।"

(7) दलपत अबासाहेब सोलुनके मामले (सुप्रा) में अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उद्धृत फैसले के मद्देनजर, हमारा विचार है कि विद्वान एकल न्यायाधीश का यह मानना उचित नहीं था कि दोनों उम्मीदवार मैट्रिक पास थे, इसलिए याचिकाकर्ता की योग्यता को प्रतिवादी संख्या 5 से कम नहीं कहा जा सकता। यह कानून का अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत यह न्यायालय चयन समिति के निर्णय पर अपने स्वयं के निष्कर्ष को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है जो एक विशेषज्ञ निकाय है, जब तक कि जब तक कोई गंभीर गलती या पूर्वाग्रह न मिल जाए।

(8) निर्विवाद रूप से प्रतिवादी संख्या 4, अपीलकर्ता के पिता, चयन समिति के सदस्य नहीं थे। चयन प्रक्रिया में उनकी कोई भूमिका नहीं थी, केवल इसलिए कि उन्होंने चयन समिति के निर्णय को रोजगार कार्यालय को बता दिया, चयन की प्रक्रिया को ख़राब नहीं कर सकता और न ही किया है।निर्विवाद रूप से, चयन समिति ने सभी उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया था और नियुक्ति के लिए प्रतिवादी नंबर 5 अपीलकर्ता के नाम की सिफारिश की थी, इसलिए विद्वान एकल न्यायाधीश का यह निष्कर्ष कि सब कुछ उचित नहीं था, अनुचित प्रतीत होता है

(9) जहां तक विद्वान एकल न्यायाधीश का यह निष्कर्ष है कि याचिकाकर्ता मुस्तफाबाद का था और उसकी उम्मीदवारी इस आधार पर खारिज कर दी गई थी कि उसका गांव ब्लॉक मार्केट कमेटी के अंतर्गत नहीं आता है, रिकॉर्ड के खिलाफ है। निर्विवाद रूप से, याचिकाकर्ता का साक्षात्कार लिया गया और चयन समिति द्वारा उसकी उम्मीदवारी पर विचार किया गया और उसकी उम्मीदवारी को कभी भी अस्वीकार नहीं किया गया। हालाँकि, याचिकाकर्ता को चयन के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया, इसके बजाय अपीलकर्ता को चयन के लिए उपयुक्त पाया गया।

(10) उपरोक्त के मद्देनजर, एकल न्यायाधीश का निर्णय कानून की नजर में कायम नहीं है। तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है। लागत के संबंध में कोई आदेश दिए बिना रिट याचिका खारिज कर दी गई है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

जोगिंद्र जांगड़ा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

हथीन, हरियाणा

13299 / HC 1LR — सरकार. प्रेस, यू. टी., ***Chd.***

R.N.R.